रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/पौष 14, 1938
No. 20] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2017

का.आ. 21(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2017 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल आदेश कहा गया है) के पैरा 2 में,-

(क) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(घक) "प्रमाणकर्ता प्राधिकारी" से उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;' ;

(ख) खंड (झ) में, "क्रीत पत्ती कारख़ाने" शब्दों के पश्चात्, "लघु चाय कारख़ाने" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ग) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(झक) "लघु चाय कारख़ाना" से ऐसा चाय कारख़ाना अभिप्रेत है, जो किसी लघु चाय उत्पादक, लघु चाय उत्पादकों के संगम या किसी उत्पादक कंपनी के स्वामित्वाधीन है और जो चाय के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए सभी अपेक्षित चाय पत्ती उसके स्वयं के बागान से प्राप्त करता है और जिसकी उत्पादन क्षमता प्रति दिन पांच सौ किलोग्राम तैयार चाय से अधिक न हो;' ;

(घ) खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(तक) " उत्पादक कंपनी" से, यथास्थिति, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), जो प्रवृत्त है, के अधीन उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत लघु चाय उगाने वालों से मिलकर बनने वाली कंपनी अभिप्रेत है;' ।

3. मूल आदेश के पैरा 2 के पश्चात्, निम्निलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2क. निराक्षेप प्रमाणपत्र.- एक विनिर्माता जो एक चाय कारखाना स्थापित करना चाहता हो, को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से एक 'निराक्षेप प्रमाणपत्र' प्राप्त करना होगा:

परंतु लघु चाय कारखाना स्थापित करने के लिए 'निराक्षेप प्रमाणपत्र' अपेक्षित नहीं है।" ।

4. मूल आदेश के पैरा 3, उप-पैरा (1) और उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) कोई विनिर्माता इस आदेश के प्रकाशन के नब्बे दिन के पश्चात् उनके स्वामितत्व और उनके द्वारा नियंत्रित प्रत्येक कारखाने के संबंध में इस आदेश के अधीन अभिप्राप्त विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण के अधीन के सिवाय चाय विनिर्माण के क्रियाकलाप नहीं करेगा:

परंतु ऐसे विनिर्माता को, जिसने पहले ही चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश,1984 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त कर लिया है, इस आदेश के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा और उन्हें तदनुसार चाय बोर्ड को संसूचित करना चाहिए:

परंतु यह और कि किसी लघु चाय कारख़ाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन इस आदेश से उपाबद्ध प्ररूपक में पैरा 2क के अधीन 'निराक्षेप प्रमाणपत्र' के साथ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को किया जाएगा ।" ।

5. मूल आदेश के पैरा 3क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3क. लघु चाय कारख़ाना का प्रमाणपत्र.- (1) कोई लघु चाय करखाना इस आदेश के अधीन के सिवाय अभिप्राप्त विधिमान्य प्रमाणपत्र को छोड़कर इस आदेश के प्रकाशन से तीस दिन के पश्चात् विनिर्मित चाय को बेचने अथवा स्टॉक रखने का क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(2) प्रमाणपत्र के लिए आवेदन इस आदेश से उपाबद्ध 'प्ररूप - ट' में प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को वाणिज्यिक विनिर्माण की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा:

परंतु देरी के लिए पर्याप्त कारण देने पर ही तीस दिन के पश्चात् आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(3) उप-पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस आदेश के प्रकाशन से पहले से ही स्थापित लघु चाय कारख़ाना को इस आदेश के उपाबंध के अधीन विनिर्माता समझा जाएगा परंतु यह कि वे इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर प्रमाणपत्र अभिप्राप्त प्राप्त कर लेते हैं ।

(4) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, किसी आवेदक को प्रमाण पत्र देने के लिए इंकार कर सकता है और उसे इस प्रकार पारित आदेश की एक प्रति देगा :

परंतु इंकार के आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।

(5) जहाँ प्रमाणपत्र के लिए एक आवेदन को प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उप-पैरा (4) के अधीन इंकार नहीं करता है वहाँ प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन के अध्याधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस कार्यदिवस के भीतर इस आदेश से उपाबद्ध प्ररूप 'ठ' में प्रमाणपत्र देगा ।

3ख. विद्यमान कारख़ाना की क्षमता बढ़ाने के लिए निराक्षेप प्रमाणपत्र.- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित विनिर्माता पूर्व सूचना के बिना और बोर्ड से निराक्षेप प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना, जो भी लागू हो, विद्यमान कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई क्रियाकलाप नहीं कर सकेगा ।

(2) बोर्ड से निराक्षेप प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने और कारखाने की क्षमता बढ़ाने के कार्य पूरा होने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित विनिर्माता को, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, यथास्थिति, इस आदेश से उपाबद्ध प्ररूप 'क' में, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या प्रमाणपत्र परिवर्तन हेतु, उक्त कारख़ाना को दिया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, यथास्थिति, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, आवेदक को विद्यमान क्षमता को बढ़ाने की स्वीकृति से इंकार करने और उसे इस प्रकार पारित आदेश की एक प्रति देगा:

परंतु इंकार आदेश पारित करने से पहले, आवेदक को सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।

(4) जहां रजिस्ट्रीकरण या प्रमाणन के लिए आवेदन को, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, उप-पैरा (3) के अधीन इंकार नहीं करता है, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, आवेदक को इस आदेश से उपाबद्ध प्ररूप 'ख' में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह कार्यदिवस के भीतर, यथास्थित, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्र देगा ।"।

6 मूल आदेश के पैरा 5 में,-

(क) सीमांत शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित सीमांत शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"लघु चाय कारख़ाना के लिए जारी विनिर्माता या प्रमाणपत्र के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन।";

(ख) उप पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, विनिर्माता को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित एक अथवा अधिक आधारों पर रजिस्ट्रीकरण को रद्द अथवा निलंबित कर सकता है, अर्थात्:-

(क) विनिर्माता द्वारा कारबार बंद कर दिये जाने पर ;

(ख) यथास्थिति, विनिर्माता द्वारा रजिस्टरीकरण या प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करते समय या बाद में किसी तथ्य का दुर्व्यपदेशन करने पर;

(ग) अधिनियम अथवा इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किये पर ;

(घ) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकरण द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर ;

(ङ.) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के पास उचित जांच करने के पश्चात् यह विश्वास करने का कारण है कि विनिर्माता चाय में चाय अपशिष्ट या अन्य कोई गैर अनुमत बाहरी पदार्थ का अपमिश्रण कर रहा है और चाय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण अधिनियम, 2006 (2006 का 34) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन अधिकारित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप नहीं है;

(च) यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कारख़ाना भवन, मशीन अथवा उपकरण अथवा किसी चाय कारख़ाने के प्रचालन का तरीका समय-समय पर लागू मानदंडों और मानकों के अनुरूप मेड टी के विनिर्माण के अनुकूल मानक और क्षमता का नहीं है;

(छ) यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि विनिर्माता ऐसे व्यापार व्यवहारों में संलिप्त हो रहा है, जो विपणन प्रणाली का, जिसके अंतर्गत चाय के लिए लोक नीलामी भी है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।";

(ग) उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और, यथास्थिति, उसमें ऐसे निलंबन या रद्दकरण के कारण विनिर्दिष्ट होंगें और, यथास्थिति, इसे रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता या प्रमाणित विनिर्माता को तुरंत अथवा ऐसा आदेश पारित करने के 7 कार्यदिवसों के भीतर भेजा जाएगा।"।

7. मूल आदेश के पैरा 7 में,-

(क) उप-पैरा (2) को उप-पैरा (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-पैरा (3) से पूर्व, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) प्रत्येक लघु चाय कारखाना, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को विवरणी और ऐसी अन्य जानकारी देगा जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी किसी विशेष अथवा साधारण आदेश द्वारा समय-समय पर मांगें।"।

8. मूल आदेश के पैरा 13 में, उप-पैरा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, इस आदेश के उद्देश्यों का कार्यान्वयन करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत व्यवसाय से संबन्धित किसी मामले के संबंध में, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता या रजिस्ट्रीकृत क्रेता या प्रमाणित विनिर्माता को समय-समय पर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से निदेश जारी कर सकता है और ऐसे निदेश प्राप्त होने पर, यथास्थिति, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता या रजिस्ट्रीकृत क्रेता या प्रमाणित प्राधिकारी, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निदेशों का क्रियान्वयन करेगा।"।

9. मूल आदेश में, पैरा 16 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा :-

"16. अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर.- इस आदेश के अधीन जारी अथवा नवीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण या प्रदान किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र पर, यथास्थिति, अनुज्ञापन प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा या यह कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी, यथास्थिति, अनुज्ञापन प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।"।

10. मूल आदेश में, पैरा 17 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"17क. प्रमाणपत्र के लिए फीस.– प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ एक हजार रुपए की फीस देनी होगी।"।

11. मूल आदेश में, पैरा 20 में, "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी / प्रमाणकर्ता प्राधिकारी समय-समय पर किसी रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, रजिस्ट्रीकृत क्रेता, अनुज्ञप्त आयोजक को निदेश जारी कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर ",यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी समय-समय पर, यथास्थिति, किसी रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता / रजिस्ट्रीकृत क्रेता या प्रमाणित विनिर्माता या अनुज्ञप्त आयोजक को निदेश जारी कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल आदेश के पैरा 21 में,-

(क) उप-पैरा (1) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह लघु चाय कारखाना को लागू नहीं होगा।";

(ख) उप-पैरा (2) में, "क्रीत पत्ती चाय कारखाना", शब्दों के स्थान पर "विनिर्माता" शब्द रखा जाएगा।

13. मूल आदेश में, पैरा 23 के उप-पैरा (1) में, "रजिस्ट्रीकृत विर्निमाता" शब्दों के स्थान पर, यथास्थिति, "रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता अथवा प्रमाणपत्र धारक" शब्द रखे जाएंगें।

14. मूल आदेश के पैरा 24 में खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण किए जाने से या प्रमाणपत्र दिये जाने से इंकार करने या उसे रद्द या निलंबन करने वाले ;"।

15. मूल आदेश में, पैरा 26 के उप-पैरा (1) में, यथास्थिति, "रजिस्ट्री प्राधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, ",यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगें।

16. मूल आदेश में, पैरा 27 में,-

(क) उप-पैरा (1) में, "रजिस्ट्री प्राधिकारी, लाइसेंस प्राधिकारी" और "रजिस्ट्री प्राधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर क्रमश: ",यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी" और ",यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगें ;

(ख) उप-पैरा (2) में, "रजिस्ट्री प्रधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, '',यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगें ;

(ग) उप-पैरा (3) में, खंड (क) में, "लाइसेसिंग प्राधिकारी अथवा पंजीयक प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, '',यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी'' शब्द रखे जाएंगें।

17. मूल आदेश में, पैरा 29 में, "लाइसेंस प्राधिकारी / रजिस्ट्री प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर '',यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगें।

18. मूल आदेश में, पैरा 31 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"31. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन.- यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी, विशेष आदेश द्वारा, अपने किसी कार्य का प्रत्यायोजन चाय बोर्ड के एक अथवा अधिक अधिकारियों को, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन सहित कर सकते हैं।"।

19. मूल आदेश के पैरा 32 में, "रजिस्ट्री या लाइसेंसिंग प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर '',यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

20. मूल आदेश में, प्ररूप 'ञ' के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप – ट

[पैरा 3क(2)देखें]

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 3क के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन

(तीन प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएं)

सेवा में,

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी,

चाय बोर्ड, कोलकाता

महोदय,

मैं/हम, चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अधीन चाय के विनिर्माता / या उत्पादक के रुप में प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं। आवश्यक विशिष्टियां निम्नानुसार है:

क्रं.सं.	विशिष्टियां	टिप्पणियाँ
1	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2	उत्पादक कम्पनी की दशा में, बायोमेट्रिक कार्ड सं./समाविष्टि प्रमाणपत्र	
3	पिन कोड सहित सम्पूर्ण पता, ई-मेल आईडी, फोन नम्बर	
4	चाय प्रसंस्करण इकाई का नाम	
5	पिन कोड सहित चाय प्रसंस्करण इकाई का पता, ई-मेल आईडी, फोन नम्बर	
6	सिंचाई के अधीन कुल चाय भूमिका विवरण, यदि आवेदक लघु उत्पादक अथवा लघु उत्पादकों की संस्था अथवा उत्पादक कम्पनी है	
7	विवरण सहित प्रतिवर्ष कुल उत्पादित हरी-पत्तियाँ, यदि आवेदन लघु उत्पादक अथवा लघु उत्पादकों की संस्था अथवा उत्पादक कम्पनी है	
8	वार्षिक उत्पादन क्षमता	
9	मशीनों की विस्तृत सूची एवं संस्थापन तारीख सहित संस्थापित उपकरण	
10	सिविल इंजीनियर द्वारा बनाए जाने वाले कारखाने में अंतिम अभिन्यास आरेखन प्रति	
11	एफएसएसएआई से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त है या नहीं	हाँ/नहीं
12	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या एवं ज़ोन	
13	चाय बोर्ड के पक्ष में बनाए जाने वाले 1,000/- रुपए बैंक ड्राफ्ट का ब्यौरा	1. बैंक ड्रफ्ट सं.: 2. तारीख : 3. रकम : 1,000/- रु०

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान :

प्ररूप – ठ

अनुज्ञप्ति प्रपत्र

[पैरा 3क(5) देखें]

चाय बोर्ड

तारीख:-

प्रमाणपत्र सं.....

श्री/मेसर्स..... पता.....को चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अधीन चाय के लघु विनिर्माता के रुप में प्रमाणित किया जाता है तथा इस प्रमाणपत्र के आधार पर वह/वे निम्न विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र की निबंधन और शर्तों के अध्यधीन चाय का उत्पादन, विक्रय और स्टॉक कर सकेगा,

यह प्रमाणपत्र तब तक लागू रहेगा जब तक यह पूर्व रद्द नहीं होता और यह अंतरणीय नहीं है।

उत्पादित चाय की उच्चतम सीमा प्रतिदिन 500 किलोग्राम है।

तारीख:

स्थान

उपाध्यक्ष , टी बोर्ड
प्रमाणकर्ता प्राधिकारी

निबंधन और शर्तें

1. कोई भी प्रमाणपत्र धारक अपने लघु चाय कारखाने का उपयोग ऐसी चाय की पत्तियों के लिए नहीं करेगा जिसका उत्पादन उसने/उन्होंने नहीं किया है एवं बाह्य स्रोत से प्राप्त चाय की पत्तियों का उपयोग/प्रसंस्करण प्रमाणपत्र धारक द्वारा नहीं किया जाएगा।

2. प्रमाणपत्र धारक चाय की विनिर्माण के लिए उपयुक्त हरी पत्तियों का उचित रिकॉर्ड रखेगा।

3. प्रमाणपत्र धारक समय-समय पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी सभी निर्देशों पर दृढ़ रहेगा।

4. प्रमाणपत्र धारक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अथवा चाय बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण हेतु अपना प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। ”

[फा. सं. टी-12014/1/2015-पौध(ए)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए -

(1) संख्यांक 247(अ), तारीख 28 फरवरी, 2003;

(2) संख्यांक 430(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2003;

(3) संख्यांक 270(अ), तारीख 27 फरवरी, 2004;

(4) संख्यांक 1170(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2004;

(5) संख्यांक 1017(अ), तारीख 15 जुलाई, 2005;

(6) संख्यांक 1012(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015;

(7) संख्यांक 2688(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2015; और

(8) संख्यांक 3319(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2016.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2017

S.O. 21(E).—In exercise of the power conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely:-

1. (1) This Order may be called the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2017.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003, (hereinafter referred as the principal order), in paragraph 2,-

(a) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

'(da) "Certifying Authority" means the Deputy Chairman;';

(b) in clause (i), after the words "Bought Leaf Factories", the words "Mini Tea Factories" shall be inserted;

(c) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ia) "Mini tea factory" means a tea factory owned by a small grower, an association of small tea growers or a Producer Company and which sources all the required tea leaf from its own plantation for the purpose of manufacture of tea and having capacity to produce not more than five hundred kilograms of made tea per day;';

(d) after clause (p), the following clause shall be inserted, namely:-

'(pa) "Producer Company" means a company registered as a Producer Company under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013), as the case may be, being in force consisting of small tea growers;'.

3. In the principal order, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:–

"2A. No objection certificate.– A manufacture who intend to set up a tea factory shall obtain a 'no objection certificate' from the Registering authority:

Provided that 'no objection certificate' shall not be required to set up Mini Tea Factory.".

4. In the principal order, in paragraph 3, for sub-paragraphs (1) and (2), the following shall be substituted, namely:-

"(1) No manufacturer shall carry on the activities of manufacturing tea after ninety days of the publication of this order except under a valid registration obtained under this order in respect of each factory owned and controlled by him:

Provided that the manufacturer who has already obtained registration under the provisions of Tea (Marketing) Control Order, 1984 shall be deemed to have been registered under the provisions of this order and they should intimate the Tea Board accordingly:

Provided further that registration shall not be required for a Mini Tea Factory.

(2) An application for registration shall be made to the Registering authority in Form 'A' annexed to this order along with the 'no objection certificate' under paragraph 2A.".

5. In the principal order for paragraph 3A, the following shall be substituted, namely:–

"3A. Certificate of Mini Tea Factory.– (1) No Mini Tea Factory shall carry on the activities of selling manufactured or hold stock of tea after thirty days of publication of this order except under a valid certificate obtained under this order.

(2) An application for certificate shall be made to the Certifying authority in Form 'K' annexed to this order within thirty days from the date of commercial manufacturing:

Provided that an application made after thirty days shall be accepted provided sufficient reasons for delay are given.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), Mini Tea Factory already set up, prior to the publication of this order, shall be deemed to be manufacturer under the provision of this order, provided they obtain the certificate within ninety days from the date of publication of this order.

(4) The Certifying authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to grant the certificate to an applicant and shall furnish him with a copy of the order so passed:

Provided that before passing an order of refusal, an opportunity of being heard shall be granted to the applicant.

(5) Where an application for certificate is not refused under sub-paragraph (4), the Certifying authority shall grant the certificate in Form 'L' annexed to this order within thirty working days from the date of receipt of application subject to necessary verification by the Certifying authority.

3B. No objection certificate for capacity enhancement of existing factory.– (1) No registered or certified manufacturer shall carry on the activities to enhance the production capacity of the existing factory without prior intimation and obtaining the no objection certificate, wherever applicable, from the Board.

(2) After obtaining the no objection certificate from the Board and completion of the capacity enhancement of the factory, the registered or certified manufacturer, as the case may be, shall apply to the Registering authority or Certifying authority, as the case may be, in Form 'A' annexed to this order for changing the registration or certificate, as the case may be, of the extended factory.

(3) The Registering authority or Certifying authority, as the case may be, may, for reasons to be recorded in writing, refuse to grant enhancement of the existing capacity to an applicant and shall furnish him with a copy of the order so passed:

Provided that before passing an order of refusal, an opportunity of being heard shall be granted to the applicant.

(4) Where an application for registration or certification is not refused under sub-paragraph (3), the Registering authority or Certifying authority, as the case may be, shall grant the applicant a certificate of registration or certificate, as the case may be, within fifteen working days from the date of receipt of the application in Form 'B' annexed to this order.".

6. In the principal order, in paragraph 5,-

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Cancellation or suspension of registration of manufacturer or certificate issued to Mini Tea Factory.";

(b) for sub-paragraph (1), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The Registering authority or Certifying authority, as the case may be, may, after giving the manufacturer an opportunity of being heard, cancel or suspend the registration or certificate, as the case may be, on any of the one or more of the following grounds, namely:-

(a) closure of business by the manufacturer;

(b) misrepresentation of any material fact by the manufacturers at the time of obtaining registration or certificate, as the case may be, subsequently;

(c) violation of any of the provisions of the Act or this order;

(d) failure to carry out any of the directions issued by the Registering authority or Certifying authority, as the case may be;

(e) if the Registering authority or Certifying authority after causing due enquiry has reason to believe that the manufacturer is involved in the adulteration of tea with tea waste or any matter and that the tea does not conform to the specifications laid down under the Food Safety Standard Authority Act, 2006 (34 of 2006) or any other law for the time being in force;

(f) if the Registering authority or Certifying authority has reason to believe that the factory building, machinery or equipment or manner of operation of any tea factory is not of a standard and capacity conducive to the manufacturer of made tea conforming to the norms and standards, applicable from time to time;

(g) if the Registering authority or Certifying authority has reason to believe that the manufacturer is indulging in unfair trade practices which may adversely affect the marketing system including the public tea auction system.";

(c) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) Every order suspending or cancelling, as the case may be, a registration or certificate, as the case may be, shall be in writing and shall specify the reasons for such suspension or cancellation, as the case may be, and shall be communicated the registered manufacturer or certified manufacturer, as the case may be, forthwith or within seven working days of passing of such order.".

7. In the principal order, in paragraph 7,-

(a) sub-paragraph (2) shall be re-numbered as sub-paragraph (3);

(b) before the sub-paragraph (3) as so re-numbered, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(2) Every Mini Tea Factory shall furnish to the Certifying authority any return in the manner as may be specified and such other information as the Certifying authority, may by special or general order, call for from time to time.".

8. In the principal order, in paragraph 13, for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(3) The Registering authority or Certifying authority, as the case may be, may from time to time issue directions to registered manufacturer or registered buyer or certified manufacturer, as the case may be, either individually or collectively on any matter connected with the business which are relevant for the purposes of carrying out the objects of this order and on receipt of such directions, every registered manufacturer or registered buyer or certified manufacturer, as the case may be, shall carry out the directions within a period specified by the Registering authority or Certifying authority, as the case may be.".

9. In principal order, for paragraph 16, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"16. Signing of license or registration certificate.– Every licence issued or renewed and every certificate of registration or certificate granted under this order shall be signed by the Licensing Authority or the Registering authority or the Certifying authority, as the case may be, or by an officer of the Board specifically authorised to do so by the Licensing Authority or the Registering authority or the Certifying authority, as the case may be. ".

10. In the principal order, after paragraph 17, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"17A. Fees for certificate**.–** Every application for issuance of certificate shall be accompanied by fee of one thousand rupees.".

11. In the principal order, in paragraph 20, for the words "The Registering authority/Licensing Authority, may from time to time issue directions to any registered manufacturer, registered buyer, licensed organiser", the words, "The Registering authority or Certifying authority or Licensing Authority, as the case may be, may, from time to time issue directions to any registered manufacturer/registered buyer or certified manufacturer or licensed organizer, as the case may be," shall be substituted.

12. In the principal order, in paragraph 21,-

(a) in sub-paragraph (1), after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that this shall not apply to a Mini Tea Factory.";

(b) in sub-paragraph (2), for the words "Bought leaf factory", the word "Manufacturer" shall be substituted.

13. In the principal order, in paragraph 23, in sub-paragraph (1), for the words "registered manufacturer", the words, "registered manufacturer or certificate holder, as the case may be," shall be substituted.

14. In the principal order, in paragraph 24, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) refusing the grant or cancelling or suspending of registration or certificate, as the case may be;".

15. In the principal order, in paragraph 26, in sub-paragraph (1), for the words "Registering Authority or Licensing Authority", the words, "Registering authority or Licensing Authority or Certifying authority, as the case may be," shall be substituted.

16. In the principal order, in paragraph 27, -

(a) in sub-paragraph (1), for the words "Registering Authority, the Licensing Authority" and "Registering Authority/Licensing Authority", the words "Registering authority, Certifying authority, the Licensing Authority, as the case may be," and "the Registering authority or the Certifying authority or the Licensing Authority, as the case may be," shall be substituted respectively;

(b) in sub-paragraph (2), for the words "Registering Authority or the Licensing Authority" the words "Registering authority, Certifying authority or the Licensing Authority" shall be substituted;

(c) in sub-paragraph (3), in clause (a), for the words " the Licensing Authority or Registering Authority", the words "the Registering authority or the Certifying authority or the Licensing Authority, as the case may be" shall be substituted.

17. In the principal order, in paragraph 29, for the words "Licensing Authority/Registering Authority", the words "Registering authority or the Certifying authority or the Licensing Authority, as the case may be," shall be substituted.

18. In the principal order, for paragraph 31, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"31. Delegation of powers of the Registering authority or Certifying authority or Licensing Authority.- The Registering authority or Certifying authority or Licensing Authority, as the case may be, may, by special order, delegate any of his function to one or more officers of the Tea Board, with the prior approval of the Central Government.".

19. In the principal order, in paragraph 32, for the words "Registering or Licensing Authority", the words "Registering authority or Certifying authority or Licensing Authority, as the case may be," shall be substituted.

20. In the principal order, after form J, the following forms shall be inserted, namely:-

"FORM – K

[See Paragraph 3A(2)]

APPLICATION FOR ISSUANCE OF CERTIFICATE UNDER PARAGRAPH 3A OF TEA (MARKETING) CONTROL ORDER, 2003

(To be submitted in triplicate)

To

The Certifying authority,

Tea Board, Kolkata

Sir,

I/We hereby apply for certificate as a manufacturer /or producer of tea under the Tea (Marketing) Control Order, 2003. Necessary particulars are furnished below:

Sl. No.	Particulars	Remarks
1	Name of the applicant(s) (in block letters)	
2	Biometric Card No./certificate of incorporation in case of producer company	
3	Full mailing address with PIN Code, Email ID, Phone Number	
4	Name of the Tea Processing unit	
5	Address of the Tea Processing unit with PIN Code, Email ID, Phone Number	
6	Total land area of tea under cultivation with break up, if the applicant is a small grower or an association of small growers or a producer company	
7	Total green leaf produced per year with break up, if the applicant is a small grower or an association of small growers or a producer company	
8	Annual Capacity of Production	
9	Detailed list of machines and equipment installed with date of installation	
10	Copy of the final factory lay out drawing to be drawn by civil engineer	
11	Whether registration from FSSAI have been obtained	Yes/No
12	Central Excise registration number and zone	
13	Details of Bank draft for Rs.1,000/- to be drawn in favour of Tea Board	1. Bank Draft No: 2. Date : 3. Amount : Rs.1,000/-

Yours faithfully,

(Signature of the applicant)

Date:

Place

FORM – L

Form of Licence

[See Paragraph 3A(5)]

TEA BAORD

Dated:-

Certificate No.....

Shri/M/s..... of.....is/are hereby certified to be a mini manufacturer of tea under the Tea (Marketing) Control Order, 2003 and based on this certificate he/it can produce, sell and hold in stock tea subject to the terms and conditions of the certificate specified, below.

This certificate shall remain in force unless previously cancelled and is not transferable.

The maximum limit of tea to be manufactured is 500 kilograms per day.

Date:

Place

Deputy Chairman, Tea Board

Certifying Authority

Terms and conditions

1. No certificate holder shall run his/its mini tea factory using the tea leaves not produced by him/it and no leaves sourced from outside shall be utilised/processed by the certificate holder.
2. The certificate holder shall keep proper records of the green leaves utilized for manufacture of tea.
3. The certificate holder shall adhere to all directions issued by the Certifying authority from time to time.
4. The certificate holder shall produce his certificate for inspection on demand by Certifying Authority or by any officer of the Tea Board duly authorised by that authority.”.

[F. No. T-12014/1/2015-Plant (A)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note: The principal order was published vide S.O. 1(E), dated the 1st January, 2003 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and subsequently amended as follows:-

(1) S.O. 247(E) dated the 28th February, 2003;

(2) S.O. 430(E) dated 10th April, 2003;

(3) S.O. 270(E) dated 27th February, 2004;

(4) S.O. 1170(E) dated 20th October, 2004;

(5) S.O. 1017(E) dated 15th July, 2005;

(6) S.O. 1012(E) dated 15th April, 2015;

(7) S.O. 2688(E) dated 1st October, 2015; and

(8) S.O. 3319(E) dated 25th October, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.01.05 18:05:35 +05'30'